UPCD010005302026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।
उपस्थितः अशोक कुमार–XI, एच.जे.एस.
J.O.Code U.P. 6128
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 90 सन् 2026

रमाशंकर साहनी पुत्र स्व. सीताराम एवं 11 अन्य प्रति उ.प्र. राज्य।

मु.अ.सं. 94 सन् 2024
धारा–143,147,148,149,186,323,332,341,342, 353,504,506,34 भा.दं.सं. एवं 7 क्रि.लॉ. अमेण्डमेण्ट ऐक्ट व 3, 4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम
थाना– चकिया, जिला–चन्दौली।

दिनाँक : 12.03.2026,

1. थाना–कोतवाली चकिया के मुकदमा अपराध संख्या 94/2024, अपराध अन्तर्गत धारा– 143, 147, 148, 149, 186, 323, 332, 341, 342, 353, 504, 506, 34 भा.दं. सं. एवं 7 क्रि.लॉ. अमेण्डमेण्ट ऐक्ट व 3, 4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रमाशंकर साहनी पुत्र स्व. सीताराम, हनुमान बहेलिया पुत्र स्व. गोपाल बहेलिया, राजू बहेलिया पुत्र मुन्नीलाल बहेलिया, महावीर प्रसाद पुत्र अलियार बहेलिया, विनोद बहेलिया पुत्र गोपाल बहेलिया, विनोद यादव पुत्र राजनाथ यादव, प्रिन्स बहेलिया पुत्र विनोद बहेलिया, सोनू पुत्र पारस, दिनेश जायसवाल पुत्र बल्ली उर्फ बलिराम जायसवाल, शेखर मल्लाह पुत्र राजनाथ उर्फ राजा मल्लाह, सुरेश पुत्र लाली बहेलिया एवं राहुल पुत्र विनोद की ओर से अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने हेतु जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 90/2026, अन्तर्गत धारा– 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. यहाँ यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन में पृथक–पृथक रुप से दाखिल शपथ–पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि यह अभियुक्तगण उपरोक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रार्थना–पत्र माननीय सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ या भारत के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये है। जबकि लिपिक की आख्या के अनुसार प्रस्तुत मामले के अभियुक्तगण हनुमान पुत्र स्व. गोपाल, राजू बहेलिया पुत्र मुन्नी लाल बहेलिया, प्रिन्स बहेलिया पुत्र विनोद बहेलिया एवं सोनू पुत्र पारस की ओर से पूर्व में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–256/2024 दिनाँक 29.06.2024 को निरस्त की जा चुकी है। इसी प्रकार शेखर मल्लाह पुत्र राजनाथ उर्फ राजा मल्लाह एवं विनोद यादव पुत्र राजनाथ यादव की ओर से पूर्व में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–255/2024 दिनाँक 29.06.2024 तथा अभियुक्त दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र बल्ली उर्फ बलिराम प्रसाद की ओर से पूर्व में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–259/2024 को दिनाँक 06.07.2024 को निरस्त किया जा चुका है। इस प्रकार अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए झूठे शपथ–पत्र के आधार पर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Digitally signed by ASHOK KUMAR
Date: 2026.03.12 16:53:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. प्रकरण से संबधित प्राथमिकी में वर्णित कथन है कि;

4. हेड कान्स्टेबल शेरबहादुर सरोज द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर थाना– कोतवाली चकिया में दी गयी कि दिनाँक 07.06.2024 को वह अन्य हमराहीगण के साथ थाना चकिया के कार्य सरकार हेतु रात्रि ड्यूटी में मौजूद था और पूर्व निर्धारित रुट चार्ट के मुताबिक प्वाइंट बरहुआ पेट्रोल पम्प पर जा रहा था कि गांधी नगर चौराहे के पास समय करीब 22:22 बजे जनता के कुछ व्यक्ति द्वारा उसकी गाड़ी को रोक कर बताया कि एक ट्रैक्टर, जो मंगरौर में एक्सीडेन्ट करके सैदूपुर की तरफ जा रहा है। तत्पश्चात् ट्रैक्टर को पकड़ने हेतु उसका पीछा किया गया। ट्रैक्टर का चालक पीछे से पीआरवी वाहन तथा भीड़ को आता देखकर, ट्रैक्टर को स्वास्थ्य केन्द्र बरहुआ के पास रोड के किनारे खड़ा करके अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। चूंकि ट्रैक्टर द्वारा दुर्घटना कारित किया गया था, इसलिए उसे अभिरक्षा में लेकर उच्चाधिकारीगण को अवगत करा रहा था कि दुर्घटना में मृतक के पिता रमाशंकर, बसन्त, हनुमान, राजू, विनय हरिजन, महाबीर प्रसाद, जयप्रकाश उर्फ मालिक, विनोद, प्रदीप उर्फ पोलार्ड, सुरेश, शेखर मल्लाह, बंटी, शंभू माली, राधे प्रधान का भाई, शिवदत्त, सुरेश बहेलिया, ओमकार बहेलिया, डब्लू साहनी, विनोद यादव, रोहित, रणजीत, अद्भुत नारायण, मंझे, आटो चालक प्रिंस बहेलिया, अजय, ऊदल, चन्द्रभान, सोनू, प्रदीप बहेलिया, काजू, आकाश बहेलिया, दीपक यादव, सहदेव, दिनेश जायसवाल, रामाश्रय, उदल, राहुल एवं अजय तथा अन्य अज्ञात 50–60 व्यक्तियों द्वारा इक्कठा होकर ट्रैक्टर चालक को पैसा लेकर भगा देने का झूठा आरोप लगाया जाने लगा व ट्रैक्टर मय ट्राली को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया गया। मना किये जाने पर सभी लोगो ने मिलकर एक राय होकर गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी–डण्डा व लात– घुंसों से मारने–पीटने लगे तथा वर्दी भी फाड़ दिये जिससे उसे तथा उसके साथी का. भानु प्रताप यादव को अन्दरुनी शरीर व सिर पर चोटें आयी है तथा चालक होमगार्ड वंशराज चौहान को चोटें आयी। इसके अलावा उक्त उपद्रवियों ने पीआरवी वाहन का पिछला शीशा फोड़ दिया। इसके बाद उसे अज्ञात वाहन मोटरसाईकिल पर बलपूर्वक बैठाकर बंधक बना लिया और अपने स्थान से हटने पर जान से मार देने की धमकी दी गयी जिससे भयभीत होकर अपनी जान बचाते हुए भागने को विवश हुए। बार–बार मना करने के बावजूद कि कार्यसरकार में बाधा ना डाले तथा सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त ना करें किनतु वे लोग मान नहीं रहे थे। उक्त अराजकतत्वों द्वारा दुराशय से अनुचित रुप से मुआवजे की मांग तथा ट्रैक्टर ट्राली को अपने कब्जे में लेने की मांग के लिए बलपूर्वक घटनास्थल के समीप यातायात को बाधित करने हेतु बांस व बल्ली लगाकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिये जिससे समय करीब 22:22 बजे से लगभग 4 घंटे तक यातायात व्यवस्था दुष्प्रभावित रही। असहज कानून व्यवस्था की सूचना मिलते ही थाना चकिया तथा निकटवर्ती अन्य थानों की फोर्स भी मौके पर आ गयी। मौके पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा तथा कुछ सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बार–बार समझाने का प्रयास करने पर उपरोक्त नामित व्यक्ति व एकत्रित भीड़ द्वारा गाली गुप्ता देते हुए हमलावर होकर जान से मारने की धमकी देने लगे तथा लोक कार्य में बाधा पहुंचाते हुए आने–जाने वाले मुसाफिरों को भी डराने–धमकाने, मारने व उनके वाहनों को तोड़ने का भय दिखाते हुए आक्रोशित हो गये, जिससे भयभीत होकर यात्रीगण अपने अपने वाहन घुमाकर इधर–उधर भागने लगे, मौके पर काफी अफरा–तफरी का माहौल हो गया, जिससे आम जनमानस का जीवन न केवल अस्त–व्यस्त हो गया बल्कि दहशत व भय का माहौल कारित किया गया। पुलिस बल द्वारा काफी प्रयास व समझाने–बुझाने के बाद करीब 4 घंटे के बाद नामित व्यक्तियों एवं अन्य अज्ञात द्वारा रोड जाम हटाया गया। इस प्रकार नामित उपरोक्त 39 व्यक्तियों तथा अज्ञात 50–60 व्यक्तियों द्वारा उग्र रुप से हमलावर होते हुए विधि–विरुद्ध तरीके से सामान्य आशय को पूरा

करने के उद्देश्य से लोकहित कार्य में बाधा पहुंचाते हुए भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त करते हुए राजकीय राजमार्ग को लगभग चार घण्टे तक आवागमन पूरी तौर पर बाधित किया गया। यातायात बाधित होने पर वाहनों में बैठे लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे तथा बच्चे रो रहे थे। इनके द्वारा मानवीय जीवन को तार–तार किया गया तथा कार्य सरकार में बाधा पहुंचायी गयी। ।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध गैर जमानतीय अपराध मु.अ.सं. 94/2024 में विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रार्थीगण के विरुद्ध समन का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जायेगा या न्यायालय में उपस्थित होने पर उसे जेल भेज दिया जायेगा।उपरोक्त अभियोग धारा– 482 बी.एन.एस.एस. की उपधारा–4 की परिधि में नहीं आता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा किसी सरकारी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाया गया है और न ही किसी के साथ मारपीट किया गया है। प्रार्थीगण न तो घटनास्थल पर थे और ना ही उनके द्वारा उपरोक्त कृत्य किया गया है। कथित चोटें अत्यन्त साधारण प्रकृति की है। आरोपित धाराओं में अधिकतम सात साल की सजा का प्राविधान है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जमानत उपरान्त पलायन की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय के बुलाने पर उपस्थित रहेगे व किसी को डरायेगे व धमकायेगे नहीं और न ही न्यायालय के पूर्व आज्ञा के भारत छोड़ेगे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत के बाबत बन्धपत्र व अण्डर टेकिंग देने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जावे।

6. अभियोजन की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थीगण का विरोध करते हुए विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एक्सीडेन्ट करके भाग रहे ट्रैक्टर चालक को पुलिस द्वारा पैसा लेकर भगा देने का कथित आरोप लगाकर ट्रैक्टर मय ट्राली ले जाने का प्रयास करने के दौरान पुलिस द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर गाली–गुप्ता देते हुए डण्डा, लात–घुंसों से सम्बन्धित पुलिस पार्टी को मार–पीटकर उपहति पहुंचायी गयी तथा मुआवजे की मांग को लेकर बांस–बल्ली लगाकर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे 4 घण्टे तक यातायात व्यवस्था बाधित रही। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

8. प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त सहित 39 नामित अभियुक्तगण तथा 50–60 अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा, एक्सीडेन्ट करके भाग रहे ट्रैक्टर चालक को पुलिस द्वारा पैसा लेकर भगा देने का कथित आरोप लगाकर ट्रैक्टर मय ट्राली ले जाने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा मना करने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ एक राय होकर गाली–गुप्ता देने लगे तथा डण्डा, लात–घुंसों से सम्बन्धित पुलिस पार्टी को मारने लगे एवं वादी मुकदमा की वर्दी फाड़ दिये व उसे अज्ञात मोटरसाईकिल पर जबर्दस्ती बैठाकर बंधक बना लिये। साथ ही कान्स्टेबुल भानू प्रताप यादव के शरीर व सिर में मारकर चोटें पहुंचायी तथा होमगार्ड वंशराज

चौहान को भी चोटें पहुंचायी तथा पी.आर.वी. वाहन का पिछला शीशा तोड़ दिये। साथ ही साथ अभियुक्तगण द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर बांस–बल्ली लगाकर सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे 4 घण्टे तक यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त परिस्थितियों में उक्त अभियुक्तगण द्वारा ना केवल कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली गयी बल्कि कानून व्यवस्था की संरक्षा करने वाले पुलिस बल को मार–पीटकर चोटें पहुंचायी गयी। इस सन्दर्भ में मजरुब शेर बहादुर सरोज, भानू प्रताप यादव एवं होमगार्ड वंशराज चौहान के शरीर पर आयी चोटों का वर्णन विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नंबर–4 में किया गया है, जिसमें मजरुब शेर बहादुर सरोज के शरीर पर पाँच चोटें दर्शायी गयी है, जिसमें चोट नं. 2 व 5 को एक्सरे हेतु सन्दर्भित किया जाना वर्णित है। इसी प्रकार भानू प्रताप यादव के शरीर पर दो चोट एवं होमगार्ड वंशराज सिंह चौहान के शरीर पर एक चोट आना केस डायरी के पर्चा संख्या–4 में वर्णित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत मामले में अभियोजित सम्बन्धित अपराध को करने में प्रथम दृष्ट्या संलिप्तता रही है। धारा 482 बी.एन.एसएस. के अन्तर्गत अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य तत्वों के साथ यह भी महत्वपूर्ण तत्व है कि, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप उन्हें गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित करने के आशय से होना चाहिये। आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध समन जारी किया गया है, जिसके कारण प्रस्तुत मामले में उक्त तत्व का अभाव है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अस्तु, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रमाशंकर साहनी पुत्र स्व. सीताराम, हनुमान बहेलिया पुत्र स्व. गोपाल बहेलिया, राजू बहेलिया पुत्र मुन्नीलाल बहेलिया, महावीर प्रसाद पुत्र अलियार बहेलिया, विनोद बहेलिया पुत्र गोपाल बहेलिया, विनोद यादव पुत्र राजनाथ यादव, प्रिन्स बहेलिया पुत्र विनोद बहेलिया, सोनू पुत्र पारस, दिनेश जायसवाल पुत्र बल्ली उर्फ बलिराम जायसवाल, शेखर मल्लाह पुत्र राजनाथ उर्फ राजा मल्लाह, सुरेश पुत्र लाली बहेलिया एवं राहुल पुत्र विनोद की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

दिनाँक : 12.03.2026

(अशोक कुमार–XI)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, चन्दौली।

स्टेनोग्राफर– राजीव कुमार सिंह।